

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:-07.12.15 को समय 05:00 बजे सुबह राजगीर थाना में गुप्त सूचना के आधार पर सा0-रामहरिपिण्ड सिवरेज से डकैती की योजना बना रहे 10 अपराधियों को एक ओटोमेटिक पिस्टल, 02 जिन्दा कारतूस, एवं 04 खोखा के साथ राजगीर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से विगत माह सितम्बर में राजगीर में हुए भीषण डकैती में लूटा गया सोनी मोबाईल एवं 97000/-रु0 नगद भी बरामद किया गया है। राजगीर थाना कांड सं0-195/2015, दिनांक-11.09.15, धारा-395 भा0द0वि0 में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। यह कांड अर्जुन चौधरी के घर में हुए गृह डकैती से संबंधित है। इस कांड में लूटे गये जेबरात को सिलाव के गायत्री ज्वेलर्स के दुकान में बेचा गया था जिनकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध राजगीर थाना कांड सं0-246/15, दिनांक-07.12.15, धारा-399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम :-

- 01 उदय कुमार सिंह पिता-जामुन केवट,
02. हजु केवट पे0-श्याम केवट,
03. सुरज कुमार पिता-मुनेश्वर केवट,
04. बलराम कुमार पिता-रामदेव केवट,
05. श्रीराम केवट पिता-विरेन्द्र केवट,
06. दीपक सिंह पे0-स्व0 बालेश्वर सिंह,
07. तरुण केवट पिता-यदु केवट,
08. रामप्रवेश केवट पिता-स्व0 छोटेलाल केवट सभी सा0-रामहरिपिण्ड, थाना-राजगीर,
09. गौतम कुमार पिता-नरेश पासवान सा0-तेतरिया सिलाव,
10. कुश कुमार पिता-धनंजय कुमार सा0-सिलाव बाजार, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा।

### बरामद सामान

01. एक ओटोमेटिक पिस्टल
02. 02 (दो) जिन्दा कारतूस
03. 04 (चार) खोखा
04. लूटा गया सोनी मोबाईल
05. 97000/-रु0 नगद